न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 626–तीन/02 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.12.01 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्र0क0 341/2000–01/अपील.

ईसुफ खां पुत्र श्री नूराशाह मुसलमान
निवासी जगर जौरा, तहसील जौरा,
जिला मुरैना म.प्र. ----- आवेदक

विरूद्ध

1– म. प्र. शासन
2– सचिव, इन्तजामियां कमेटी,
जमा मस्जिद जौरा, जिला मुरैना ----- अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस. के. अवस्थी ।
अनावेदक कं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री डी.के. शुक्ला ।
अनावेदक क. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 07 मई 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 341/2000–01/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20–12–01 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित हैं । इस कारण से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं हैं ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए हैं ।

4/ अनावेदकों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि इस प्रकरण में आवेदक द्वारा अतिक्रमण किया जाना सिद्ध है । उनके द्वारा यह भी कहा गया

कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार वाद प्रस्तुत किए गए थे जो निरस्त किये जा चुके हैं । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

5/ जबाव में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि व्यवहार वाद में दिनांक 27–8–13 को पारित आदेश के विरूद्ध उनके द्वारा प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, जौरा के न्यायालयक में अपील कमांक 11/13 पेश की गई जो अभी लंबित है ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण संहिता की धारा 248 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाकर राजस्व मंडल द्वारा दिनांक 26.6.01 को प्रकरण में उभयपक्षों को सुनकर बोधगम्य आदेश पारित करने के आदेश दिए गए इस पर से प्रकरण में आलोच्य आदेश पारित हुआ है । प्रकरण में यह बिंदु आया है कि विवादित स्थल को अपर आयुक्त के समक्ष अपीलकर्ता ने अपने स्वत्व की भूमि बताया है तथा इस संबंध में नगरपालिका को कर चुकाने की रसीदें पेश की हैं जिसे अस्वीकार करते हुए भूमि को शासकीय मानकर आदेश पारित किए हैं । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई न्यायिक त्रुटि नहीं है । अनावेदक की ओर से इस न्यायालय के समक्ष व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 जौरा द्वारा प्र0क0 10ए/12 ई.दी. में पारित आदेश दिनांक 27–8–13 की प्रति पेश की है जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक का कोई स्वत्व भूमि में नहीं माना गया है । आवेदक के अनुसार व्यवहार न्यायालय के आदेश को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती दी है और प्रकरण अभी अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित है । व्यवहार न्यायालय में प्रकरण लंबित होने के आधार पर इस स्तर पर आवेदक को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है । व्यवहार न्यायालय का जो निर्णय होगा वह पक्षकारों पर बंधनकारी होगा ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर